तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 114/06/टीआई
सोनाराम पुत्र घीसाराम जाति मीणा निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र गोपी } सगस्त जाति मीणा } निवासीगण अलोदा
2. श्रवण पुत्र गोपी } } तह0 दांतारामगढ
3. पप्पू पुत्र श्रवण } } जिला सीकर
4. रामेश्वर पुत्र भूराराम जाति जाट }
5. संजु देवी पत्नी बीरबल जाति जाट हाल सरपंच, ग्राम पंचायत, अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—
1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री भवानीसिंह शेखावत, वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय दिनांक— 13.04.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ में भूमि ख.नं. 122, 124, 125, 138 ता 140, 143/1831 किता 7 कुल रकबा 3.76है0 अवस्थित है। जिसमें आवेदक 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अनावेदक सं. 1 की 1/3 हिस्सेदारी व प्रतिवादी सं. 6 की 1/3 हिस्सेदारी उक्त आराजियात में है। आवेदक बाहमी बंटवारे के अनुसार भूमि ख.नं. 124 संपूर्ण, ख.नं. 140 के उतरी साईड के लगभग आधे हिस्से व शेष हिस्सेदारी ख.नं. 122 में से काश्त करता चला आ रहा है। अनावेदक गण आवेदक के हिस्से में आई भूमि में रास्ते के दक्षिण साईड में आज से 2—3 रोज पूर्व जबरन पत्थर वगैराह निर्माण सामग्री डालकर जबरन कृषि भूमि निर्माण आवेदक के हिस्से की भूमि में नाजायज कब्जा करने की कुचेष्टाम है जिसका अनावेदकगण को कोई हक अधिकार नहीं है। आवेदक को ताकत के बल पर नाजायज अतिक्रमण कर बेदखल करके निर्माण करने की कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो आवेदक को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है कि वो आवेदक के कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि किसी भी तरह से दखलंदाजी, जबरन निर्माण करने से स्वयं मय परिवार जन सदैव के लिए बाज रहे। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी को उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमियों से बेदखल करने व आवेदक के कब्जे काश्त की भूमियां ख.नं. 124, 140

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

व 1232 में जबरन निर्माण कार्य करने से स्वयं मय परिवारजन, एजेंट सदैव के लिये बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 ता 3 की ओर से वकील श्री भवानीसिंह शेखावत उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाबदेवही बंद की गई।
3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों से इंकार करते हुए संयुक्त खातेदारी की भूमि बताई एवं अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है।
4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम अलोदा की तन में अवस्थिति ख.नं. 122, 124, 125, 138 ता 140, 143/1831 किता 7 कुल रकबा 3.76 है0 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी विवादित भूमियों में बाहमी बंटवारे के अनुसार भूमि ख.नं. 124 संपूर्ण, 140 के उतर साईड के लगभग आधे हिस्से व शेष ख.नं. 122 में से काश्त करना अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है चूंकि विवादित भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ हैं । एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर प्रार्थी के कथनों को सही भी माना जा सकता है। वर्तमान तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन सुदृढ है एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किये जाने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.नं. 124, 140, 122 वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।
5. यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner